

की तार
नारी हुए

फर्द अहकाम


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

ताराचंद बनाम राज0 सरकार वगै0

दमा- प्रा0पत्र 136

मु0नं0- 15/2023

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3	<p>पत्रावली प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पत्रावली में प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का नाम गिर्राज पुत्र कन्हैयालाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम ताराचन्द है। जिसे शुद्ध किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जवाब स्टेट भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का समर्थन करता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके ग्राम गीजगढ की भूमि खसरा नम्बर 306 में प्रार्थी का नाम गिर्राज पुत्र कन्हैयालाल के स्थान पर ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)